

Serial No. 5198

Deed No. 5263



Govt. of Bihar
District Registry Office ,Patna
Summary of Endorsement

This document was presented for registration on 26/03/2021 by Dheeraj Kumar Yadav

A stamp duty of Rs. **428200/-** and other fees of Rs. **6525/-** has been paid in it.

The document was found admissible. The names, photographs and fingerprints and signatures of the executants, and their identifier, who have admitted execution before me, are affixed on the reverse page.

The document has been registered as deed no. **5263** In Book No. **1**, Volume No. **133** on pages from **140** to **155** and has been preserved in total **16** pages in C.D. No. **18** / Year **2021**

Date: 26/03/2021

Token No: 5356 /2021

Signature with Date

(Satya Narayan Chaudhry)
Registering Officer, Patna

5356/21

SCANNED BY

उन्नयन मनोबन्ध

Development Agreement

यह डेवलपमेंट एग्रीमेंट आज दिनांक 26/03/21 को

(1.) श्री धीरज कुमार यादव पिता का नाम स्व० ब्रह्मदेव सिंह, निवासी ताराचक, दानापुर कैन्ट, थाना- दानापुर, जिला- पटना, भारतीय नागरिक। पैन- ACTPY8658D, मो०-9304852444,

(2.) श्री अनिल कुमार सिंह पिता स्व० धीरज नारायण सिंह निवासी - आनन्द बाजार, दानापुर कैन्ट, पोर्ट एवं थाना- दानापुर, पटना, जिला- पटना भारतीय नागरिक, पैन- AQBPS8916N, मो०-9334811222, जिन्हें आगे जमीन मालिक के नाम से सम्बोधित किया गया है। व जो शब्दावली प्रसंग के प्रतिकूल होने अथवा हटाये जाने की स्थिति को छोड़कर उनके उत्तराधिकारी, निष्पादक, प्रशासक हितबद्ध उत्तराधिकारी को शामिल करेंगे) जिन्हें इसमें प्रथम पक्ष कहा गया है।

For R.R. Builders and Infracon
Sudha Kumar
Partner
26/03/21

For R.R. BUILDERS & INFRACON
Sudha Kumar
PARTNER




District Registry Office, Patna

Token Number 5356

Reg. Year 2021

Serial Number 5198


Deed Number 5263

PresType	Name	Photo	Thumb	Index	Middle	Ring	Little
Claimant	Sudha Kumari						
Sig.							
Executant	Anil Kumar Singh						
Sig.							
Presented By	Dheeraj Kumar Yadav						
Sig.	 26-3-2021						
Executant	Dheeraj Kumar Yadav		N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Sig.							

Identified By Abhay Singh



Sig.



26/03/21

341621192114021216178101
Dheeraj Kumar Yadav 26/03/2021
Dheeraj Kumar Yadav 26/03/2021
Dheeraj Kumar Yadav 26/03/2021
Dheeraj Kumar Yadav 26/03/2021

26/03/2021



Sudha Singh



SCORE Ver.4.0

Powered by JL&FS Technologies Ltd.

Biometric Captured By 2800sop010.

For R.R. BUILDERS & INFRACON
Sudha Kumari
PARTNER

79

"आर० आर० बिल्डर्स एण्ड इन्फ्राकॉन(R.R Builders & Infracon)

PAN NO.-ABCFR7754F पार्टनरशीप एकट के अन्तर्गत स्थापित एवं निबंधित है जिसका निबंधन कार्यालय जेड-19, आशियाना नगर फेज नं०- 1, पटना द्वारा पार्टनर श्रीमती सुधा कुमारी पति स्व० राजेश कुमार (ADHAR- 3956 5170 5445)निवासी जेड-19, आशियाना नगर, फेज- 1, जिला- पटना— 800025, जिन्हें आगे डेवेलपर/भवन निर्माता/उन्नयनकर्ता/ विकासक इत्यादि के नाम से सम्बोधित किया गया है, जिसमें उनके कार्यालय के अधिन्यासी, नामित एवं उत्तराधिकारी इत्यादि सम्मिलित हैं जो इसमें द्वितीय पक्ष के रूप में वर्णित हैं, के बीच सम्पादित हुआ।

यह कि जमीन मालिक संख्या 1. श्री धीरज कुमार यादव पिता का नाम स्व० ब्रह्मदेव सिंह मौजा- लखनी बिगहा, सर्वे थाना दानापुर, अवर निबंधन कार्यालय, दानापुर, जिला- पटना, अन्दर थाना नं० 41, थाना कोड-162, जोन-2, तौजी संख्या-5225 / 14851, बिहार सरकार, खाता नं० 31 एवं 116, खेसरा नं० 1548,1547 का अंश भाग, रक्वा 40.91 डीसमल अर्थात 17817.1232 वर्गफीट, जमावंदी नं०- 30(पुराना), है। जिसका प्रचलित आवासीय बाजार मूल्य मो० 1,06,77,510/- (एक करोड़ छः लाख सत्तर हजार पाँच सौ) रूपये है पर स्वामी के रूप में स्वत्व धारित करते हुए निर्विवाद रूप से शांतिर्पूर्क दखल-कब्जे में है। जिसका पूर्ण विवरण इस विलेख की अनुसूची- 1 में वर्णित है जो इस विलेख का भाग है।

यह कि वर्णित सम्पति जमीन मालिक ने दिनांक 19/01/2021 ई० को नविस्ते श्री शिव दयाल राय पिता स्व० प्रेम लाल राय एवं अन्य साकिन - विशुनपुर, थाना- दानापुर, जिला- पटना से बैय खरीद किये हैं। जिसका बुक नं०-1, जिल्द नं० -21, पेज नं० 403 से 419, सीडी 2/2021, टोकन नं० 554/2021, सिरीयल नं० 577, वसिका नं० 836 निबंधन कार्यालय पटना में निबंधित है। बैय खरीदगी के रोज से ही जमीन मालिक अपने खरीदगी सम्पति पर काविज दाखिल मालिक मुस्तकिल होकर वो रहकर हर प्रकार से उपयोग वो उपभोग करते चूले आ रहे हैं।

जमीन का विवरण:-

खाता नं०	प्लौट नं०	एराजी
31	1548	22.91डी०
116	1547	18डी०

चौहदादी(Boundary)

उत्तर : सहायक रास्ता।

दक्षिण : सडक/आहर/पाइन।

पूरब : श्री अनिल कुमार सिंह इमरोजा खरीदार अन्दर सर्वे प्लौट नं०-1548।

पश्चिम : सर्वे प्लौट नं०-1546।

Sudha Singh
For R.R. Builders and Infracon
26/03/2021
Partner

For R.R. BUILDERS & INFRACON

Sudha Kumar

PARTNER

यह कि जमीन मालिक संख्या 2. श्री अनिल कुमार सिंह पिता स्व० धीरज नारायण सिंह मौजा— लखनी बिगड़ा, सर्वे थाना दानापुर, अवर निबंधन कार्यालय, दानापुर, जिला— पटना, अन्दर थाना नं० 41, थाना कोड—162, जोन—2, तौजी संख्या—5225 / 14851, तौजी बिहार सरकार, खाता नं० 31, खेसरा नं० 1548 का अंश भाग, रकवा 40.91 डीसमल अर्थात् 17817.1232 वर्गफीट, जमावंदी नं०— 30(पुराना) है। जिसका प्रचलित आवासीय बाजार मूल्य मो० 1,06,77,510/- (एक करोड़ छः लाख सत्तर हजार पाँच सौ) रुपये है पर स्वामी के रूप में स्वत्व धारित करते हुए निर्विवाद रूप से शांतिपूर्क दखल—कब्जे में है। जिसका पूर्ण विवरण इस विलेख की अनुसूची— 1 में वर्णित है जो इस विलेख का भाग है।

यह कि वर्णित सम्पति जमीन मालिक ने दिनांक 19/01/2021 ई० को नविस्ते श्री शिव दयाल राय पिता स्व० प्रेम लाल राय एवं अन्य साकिन — विशुनपुर, थाना— दानापुर, जिला— पटना से बैय खरीद किये हैं। जिसका बुक नं०—1, जिल्द नं० —21, पेज नं० 535 से 551, सीडी 2/2021, टोकन नं० 558/2021, सिरीयल नं० 585, वसिका नं० 845 निबंधन कार्यालय पटना में निर्बंधित है। बैय खरीदगी के रोज से ही जमीन मालिक अपने खरीदगी सम्पति पर काविज दाखिल मालिक मुस्तकिल होकर चोरहकर हर प्रकार से उपयोग वो उपभोग करती चली आ रही हैं वो हैं।

चौहदी(Boundary)

उत्तर : सहायक रास्ता।

दक्षिण : सड़क/आहर/पाइन।

पूरब : सर्वे प्लाट नं०—1549 एवं 1550।

पश्चिम : श्री धीरज कुमार यादव इमरोजा खरीदार अन्दर

सर्वे प्लाट नं०—1548 एवं 1547।

यह कि विकासक को जमीन मालिक ने अनुसूची— 1 में वर्णित जमीन के संबंध में यह विश्वास दिलाया कि जमीन हर प्रकार से पाक—साफ एवं स्वत्व, दोष तथा ऋण भार से मुक्त है। यदि भविष्य में किसी भी प्रकार का कोई स्वत्व, दोष/मुकदमा या ऋण भार पाया जायेगा तो उसकी जिम्मेवारी जमीन मालिक पर होगी और उसके चलते होने वाले हर्जा—खर्चा तथा क्षति—पूर्ति भुगतान करने का दायित्व जमीन मालिक को रहेगा।

यह उन्नयन मनोबन्ध जमीन मालिक के नाम से दाखिल — खारिज होने एवं रसीद कटने के बाद ही मान्य होगा।

यह कि उपर्युक्त दोनों पक्षों की सहमति से यह निर्णय लिया गया कि अनुसूची— 1 में वर्णित जमीन पर एक बहुमंजिला इमारत का निर्माण निम्नलिखित शर्तों एवं बंधणों पर किया जाय:-

For R.R. BUILDERS & INFRA

Sudha Kumar

PARTNER

26/03/21
Sudha Kumar
Partner

1. यह कि उपर्युक्त दोनों पक्षों की सहमति से यह तय किया कि अनुसूची - 1 की जमीन पर पी.एम.सी./खगौल नगर परिषद्/सम्बंधित प्राधिकार से प्रस्तावित भवन का नक्शा एवं प्लान स्वीकृत कराकर उसके अनुरूप बहु मंजिला इमारत बनाएंगे।
2. यह कि जमीन मालिक और द्वितीय पक्ष डेवलेपर के बीच इस संबंध में इस विलेख के निष्पादन के पहले से बातचीत चल रही थी और अब डेवलपर्स ने अंतिम रूप से यह निर्णय लिया है कि वे उक्त सम्पत्ति को उन्नयन के लिए ग्रहण करेंगे और जमीन मालिक को आश्वासन दिया तथा आश्वत किया है कि उक्त सम्पत्ति का उन्नयन करने में किसी भी तरह से जमीन मालिक को क्षति नहीं पहुँचायेंगे।
3. यह कि उभय पक्ष सहमत हुए कि द्वितीय पक्ष के डेवलपर बचनबद्ध करते हैं कि अनुसूची - 1 में वर्णित जमीन पर बहुमंजिला इमारत की संरचना करेंगे।
4. यह कि जमीन मालिक एवं भवन निर्माता ने यह भी तय किया कि भवन के अंतिम रूप से निर्माण के पश्चात सम्पूर्ण शिखर पर (terrace) का व्यवहार उक्त इमारत के धारक तथा इमारत के स्वामियों द्वारा बनाये गए सदस्य ही करेंगे।
5. यह कि जमीन मालिक एवं भवन निर्माता द्वारा यह भी तय किया गया कि पी.एम.सी./खगौल नगर परिषद्/सम्बंधित प्राधिकार द्वारा प्रस्तावित निर्माणाधीन हिस्से में जमीन मालिक को 50% मिलेगा एवं भवन निर्माता को भी 50% हिस्सा परम निर्मित क्षेत्र(Super Builtup), पार्किंग क्षेत्र, फ्लैट इत्यादि में होगा।
6. यह कि डेवलपर ने स्वीकार किया है कि भवन प्रथम कोटि का होगा और उक्त इमारत में प्रयुक्त सभी सामान बिना मिलावट के और दीर्घ टिकाऊ गुणवत्ता वाले लगाए जायेंगे।
7. यह कि उभय पक्षों के बीच परस्पर घोषणा और प्रतिनिधित्व के द्वारा बातचीत के फलस्वरूप डेवलपर द्वारा उक्त जमीन के उन्नयन के लिए किया गया एकरारनामा शर्तों और बंधणों के साथ अंकित किया गया।
8. यह कि जमीन मालिक की डेवेलपर को यह स्वीकृत करते हैं ओर डेवलपर जमीन मालिक से उक्त जमीन को उन्नत करने का अधिकार स्वीकार करते हैं उन शर्तों और बंधणों पर जो इस एकरारनामा की अनुसूची - II में वर्णित है।
9. यह कि जमीन मालिक की सहमति और लिखित स्वीकृति से डेवलपर उक्त जमीन पर बनाए जाने वाली इमारत कम्प्लेक्स का नक्शा, रूपरूप और (elevation) आकृति तैयार करने जिसमें किये जाने वाले कार्य का specification तथा प्रयोग किये जाने वाले सामानों जो प्रथम कोटि के होने चाहिए, के लिये एक वास्तुकार (architect) की नियुक्ति करेंगे। इस पर होने वाले सभी खर्च और architect को दिये जानेवाला पारिश्रमिक (fees) डेवेलपर द्वारा दिया और वहन किया जायेगा। यह

Sudha Kumar
For R.R. Builders and Infracon
26/03/2017

For R.R. BUILDERS & INFRACON
Sudha Kumar
PARTNER

भी तय हुआ कि डेवेलपर उक्त जमीन का उन्नयन कर अधिकतम अनुमान्य एफ.ए.आर सुनिश्चित करेंगे और तदनुसार उन्नयन योजना बनायी जाएगी और भवन स्वीकृति सक्षम प्राधिकार / पी.एम.सी / खगौल नगर परिषद को भेजी जाएगी।

10. यह कि जमीन मालिक यह भी सहमत है कि डेवेलपर उक्त वास्तुकार (architect) द्वारा निर्मित प्लान पी.एम.सी/खगौल नगर परिषद/संबंधित प्राधिकार और कोई अन्य प्राधिकारों अगर हो, को विकासक अपने हस्ताक्षर से अपनी ओर से जमा कर देंगे और भवन प्लान की स्वीकृति प्राप्त करेंगे। उपर्युक्त कार्य से संबंधित खर्च का भुगतान डेवेलपर करेंगे।

11. यह कि इस मनोबंध के निष्पादन के बाद जमीन मालिक डेवेलपर को उनके कर्मचारियों, अभिकर्ताओं, कारीगरों, अभियंताओं एवं मजदूरों को उक्त सम्पति में प्रवेश करने की अनुमति देंगे, जिससे वे विभिन्न विकास-पूर्व कार्य यथा नवशा और योजना का निर्माण जैसे कार्य कर सकें। वैसे विकास कार्य की सुविधाओं की अनुमति डेवेलपर द्वारा पी.एम.सी/खगौल नगर परिषद/संबंधित प्राधिकार और अन्य सक्षम प्राधिकारों से भवन निर्माण योजना की स्वीकृति के बाद दी जाएगी।

12. यह कि प्राकृतिक विपदा और डेवेलपर की शक्ति के नियंत्रण के बाहर के कारणों को छोड़कर जिससे उक्त सम्पति और निर्माण कार्य प्रभावित हो, भवन निर्माण की समय सीमा उन्नयन मनोबन्ध निवधन होने से 4 वर्ष छ: माह की होगी और उसके बाद कार्य पूर्ण करने का 6 माह का कृपा काल होगा। भवन निर्माण की कुल समय सीमा उन्नयन मनोबन्ध निवधन की तिथि से गिनी जाएगी। यह समय सीमा जमीन के पाक-साफ एवं स्वत्व, दोष तथा ऋण भार से मुक्त एवं जमीन मालिक के नाम से दाखिल - खारिज होने एवं रसीद कटने के बाद ही लागु होगा।

13. यह कि मालिक सहमत हैं और वचनबद्ध है कि वे बिहार अपार्टमेन्ट स्वामित्व अधिनियम 2006 की धारा 5 (1) एवं 5 (2) तथा अन्य सभी प्रावधानों एवं नियमों को पालन करेंगे और अधिनियम के अनुरूप भवन निर्माण पूर्ण होने के बाद विकासक/संप्रवर्तक एवं भू-स्वामी अपने-अपने हिस्से के निरपेक्ष स्वामी होंगे तथा वे अपने-अपने हिस्से को पृथक रूप से बेचने/अन्तरण करने का हकदार होंगे और उसका नियमानुकूल सक्षम निवधन कार्यालय में निवधन करेंगे जिसमें उक्त अधिनियम एवं नियम का पालन किया जायेगा। विकासक अपने हिस्से का क्षेत्र बंधक रखकर ऋण ले सकेंगे और विक्रय के लिए एकरारनामा करेंगे। जिसमें जमीन मालिक निर्मित फ्लैट का अधिकार प्राप्त कर अपने हिस्से में पड़ने वाले फ्लैट गिरवी रखें, ऋण ले, विक्री कर पैसा अपने खाते में रखे जैसे चाहे फ्लैट एवं कार पार्किंग का उपयोगकर सकते हैं इससे विकासक को न आपती है न भविष्य में होगा।

For R.R. BUILDERS & INFRACON
Sudha Kumar
PARTNER

Sudha Singh
Partner
26/03/21
For R.R. Builders and Infracon

14. यह कि उक्त जमीन पर सम्पूर्ण इमारत कम्पलेक्स तथा उन्नयन कार्य पूर्ण होने पर डेवेलपर बिक्री योग्य निर्मित इमारत के प्रमुख क्षेत्र का आनुपातिक अधार पर जमीन मालिक को 50 प्रतिशत सुपुर्द कर देंगे। प्रत्येक कोटि के घरों/फ्लैटों पर अर्थात् वे फ्लैट जो उक्त विकसित और निर्मित इमारत के प्रमुख अंग होंगे जो डेवेलपर या उनके नामित को आनुपातिक रूप से उनको 50 प्रतिशत हिस्सा के भागीदार होंगे, साथ ही साथ इस श्रेणी की तकनीकी जरूरतों को ध्यान में रखते हुए निर्माण प्रथम कोटि का होगा।

15. नक्शा स्वीकृति के पश्चात् भवन निर्माण होने पर मंजिलों में बढ़ोतरी का संशोधित नक्शा यदि अनुमोदित होता है तो वैसी स्थिति में निर्माण कार्य विकाशक द्वारा पूर्ण करने पर उपर्युक्त अंकित अनुपातिक हिस्से के लिए जमीन मालिक भी हकदार होंगे। और उसी अनुपात में क्रेताओं का प्रति फ्लैट अनुपातिक जमीन में हिस्सा बदल जायेगा।

16. यह कि यथावर्णित "जमीन मालिक का क्षेत्र" पर जमीन मालिक को 50 प्रतिशत का अधिकार होगा जिसका प्रस्तावित भवन का नक्शा स्वीकृत होने के बाद निर्धारण और स्पष्टीकरण किया जाएगा। किन्तु फ्लैट में "जमीन मालिक का क्षेत्र" का निर्धारण आपसी-मेल-जोल से होगा तथा अपार्टमेंट के सम्मिलित क्षेत्र अर्थात् सीढ़ी घर, रास्ता, पम्प घर, जेनरेटर घर, वाहन क्षेत्र लिफ्ट स्थान, प्रहरी घर, सम्मिलित शौचालय एवं सम्मिलित (सामुहिक) उपयोग की अन्य चीजें जमीन मालिक और डेवेलपर दोनों द्वारा आनुपातिक रूप से उपयोग की जाएंगी।

17. यह कि डेवेलपर को उक्त जमीन के उन्नयन का अधिकार होगा जिसका उन्नयन वे उस इमारत/फ्लैट बनाकर, कार पार्किंग स्थान और अन्यान्य tenements के द्वारा जो पी.एम.सी./खगौल नगर परिषद्/संबंधित प्राधिकार और/ अथवा अन्य संबंधित प्राधिकार से स्वीकृत नक्शा की शर्तों और बंधजों के अनुसार करेंगे अथवा उक्त उद्देश्य के लिए जमीन मालिक डेवेलपर को जरूरत पड़े तो वैसे सभी कार्य (cts, deeds, matters) को करने के लिए डेवेलपर को अधिकृत करते हैं जिसमें खास बातें निम्नवत हैं :-

A. उक्त जमीन पर संबंधित प्राधिकार के नियमों एवं परिनियमों के अनुसार डेवेलपर/जमीन मालिक के नाम में प्रस्तावित इमारत की योजना बनाना और स्वीकृति के लिए आवेदन तैयार करना, कानूनी कावमों, वचनबद्धता सम्बन्धी कागजात तैयार करना, हस्ताक्षर करना तथा परियोजना की स्वीकृति के लिए उन्हें जमा करना।

B. इमारत तथा परियोजना के लिए सर्वेयर, इंजीनियर, ठेकेदार, मजदूर और अन्य लोगों की नियुक्ति करना।

For R.R. Builders and Infracon

Sudha Singh
Partner

26/03/24

For R.R. BUILDERS & INFRACON

Sudha Kumar

PARTNER

C. पानी, बिजली और अन्य सुविधाओं के लिए संबंधित अधिकारियों को आवेदन करना तथा सिमेंट, लोहा और अन्य भवन निर्माण सामग्री के लिए सरकारी कोटा के परमिट के लिए आवेदन करना।

D. किसी भी याचिका (writ) नोटिस या अन्य कानूनी प्रक्रिया प्राप्त करना और जमीन मालिक की ओर से न्यायालय में किसी न्यायिक मजिस्ट्रेट/tribunal या अन्य के समक्ष उपस्थित होना साथ ही किसी न्यायालय सरकारी अधिकारी या tribunal के समक्ष उक्त सम्पति से संबंधित किसी मामले, मुकदमें में उपस्थित होना, बचाव करना, मुकदमा दायर करना, सभी आवश्यक कागजात पेश करना एवं वकालतनामा दायर करना। ये सभी काम डेवेलपर अपने खर्च पर करेंगे।

E. जैसे कहा जा चुका है उक्त जमीन पर भवन बनाना और उसकी बिक्री/समेंम पर देने या अन्य प्रकार के आवंटन के लिए खरीदारों एवं समेंम लेनेवालों से विलेख की शर्तों के अनुरूप मनोबंध करना और उक्त इमारत में अपना हिस्सा आंशिक या सम्पूर्ण रूप से एक या अन्य प्रस्तावित सहकारी समितियों को देना।

F. उपर्युक्त कथनानुसार उक्त इमारत एवं प्लैट आदि को स्वामित्व अथवा अन्य आधार पर डेवेलपर के हिस्से से देना और उसका असिम अथवा बिक्री मूल्य का हिसाब रखना बशर्ते कि ऐसी प्राप्तियाँ सदैव डेवेलपर द्वारा उक्त जमीन के केवल विकास और निर्माण के लिए उपयोग की जाएंगी तथा सदैव इस शर्त के साथ कि डेवेलपर इसकी सुपुर्तगी नहीं करेंगे।

G. इमारत कम्पलेक्स में प्लैट / tenements आदि खरीदने वालों को अपने प्लैट/tenements के एवज में आर्थिक संस्थाओं से ऋण लेने के लिए डेवेलपर को इमारत में अपना हिस्सा बंधक रखना।

H. डेवेलपर को यह अधिकार होगा कि वे अपने 50 प्रतिशत हिस्से को सीधे अथवा सहकारी समितियों द्वारा बेचने, आवंटित करें और उनके पक्ष में खरीदारों के नाम विक्रिय पत्र निष्पादित करें।

I. जमीन मालिक ने स्वीकार किया है कि यदि डेवेलपर उक्त परियोजना से सटे या उसके आस-पास की जमीन पर परियोजना का विस्तार करें तो उन्हें किसी प्रकार की आपत्ति नहीं होगी।

J. डेवेलपर को यह अधिकार होगा कि वे उपरोक्त जमीन का उन्नयन उस पर एक या अनेक भवन, प्लैट, पार्किंग स्थान और अन्य tenements इमारत के नक्शे के अनुसार एक सम्मिलित नक्शा अथवा अलग-अलग नक्शा बनाकर और अगल-बगल की जमीन लेकर एक योजना अन्तर्गत या खंड-खंड में योजना बनाकर निर्माण करेंगे और

For R.R. Builders and Infracon

Sudha Singh
Partner

26/03/2021

For R.R. BUILDERS & INFRACON
Sudha Kumar
PARTNER

हिस्सा अनुसार हिस्से का बंटवारा एवं विक्रय इत्यादि करेंगे, उन्हें बेचेंगे, आवंटित करेंगे अथवा निरस्त करेंगे जैसी जरूरत हो, वैसा करेंगे, ऐसा अधिकार समझें बेचें और ऐसे प्लैट इकाइयों/tenements पार्किंग स्थान का मूल्य वसूलें और अपने खाते में अपने लिए रखें। ऐसी कार्रवाई के लिए किसी भी जमीन मालिक को आपत्ति का अधिकार नहीं होगा। बंटवारे के अनुरूप एक-दूसरे की जमीन पर बनी इमारत में भी हिस्सा सम्भावित है, जिसे भी उभय पक्ष स्वीकार करते हैं।

K. घूर्वाकृत जमीन पर प्रस्तावित इमारत के लिए योजना को संबंधित प्राधिकार के नियमों के अन्तर्गत तैयार कर इसे पटना नगर निगम/सक्षम अधिकारियों द्वारा स्वीकृत कराने के लिए आवेदन तथा वचन बद्धताओं को अगर डेवेलपर चाहें तो जमीन मालिक ऐसे सभी आवश्यक योजनाओं, विशिष्टियों, घोषणाओं, शपथ-पत्रों और अन्य कानूनी अथवा (statutory) कागजातों को पी.एम.सी./खगौल नगर परिषद/संबंधित प्राधिकार अन्य अधिकारियों से स्वीकृत कराने के लिए हस्ताक्षर करने पर सहमत हैं।

18. यह कि जमीन मालिक घोषणा करते हैं:

- (i) कि जमीन मालिक को उक्त जमीन से संबंधित इसके अधिग्रहण या अधियाचन के लिए कोई कोटिस या अधिसूचना प्राप्त नहीं हुई है और यह विवाद मुक्त है तथा उन्हें इसका उन्नयन करने या कराने के लिए अधिकार है।
- (ii) कि उक्त जमीन से संबंधित इस जमीन या इसके किसी हिस्से पर कोई दावा, मांग, निषेधाज्ञा या संलग्नता किसी करारोपन अधिकारी, राजस्व अधिकारी या सरकार अथवा स्थायी निकायों या अधिकारियों द्वारा नहीं है।
- (iii) कि उक्त जमीन से संबंधित कोई मनोबंध या कोई याचिका या व्यवस्था नहीं चल रहा है और अगर डेवेलपर को किसी ऐसे व्यवस्था का पता चले तो डेवेलपर को यह मनोबंध रद्द करने और इसका पूरा खर्च बैंक दर पर सूद के साथ जमीन मालिक से वसूल करने का अधिकार होगा।
- (iv) कि जमीन मालिक के अलावा जमीन पर और किसी का कोई अधिकार, हिस्सा या हक नहीं है और जमीन मालिक किसी बेनामी जमीन मालिक के बेनामीदार नहीं है। तथा अगर भविष्य में ऐसा दावा पेस होता है तो वो जमीन मालिक अपने हिस्से के निर्मित क्षेत्र से उसका निपटारा करेंगे और डेवेलपर का उसमें कोई लेना देना नहीं होगा तथा डेवेलपर का हिस्सा पूरी तरह से ऐसे किसी भी मामले से बाहर एवं स्वतंत्र होगा।
- (v) कि उक्त जमीन मालिक ने घोषणा की है कि उक्त जमीन पर कोई दायित्व या अवभार नहीं है और अगर उस पर कोई झूठा दावा करता है तो जमीन मालिक ऐसे दावे को अपने खर्च पर चुनौती देंगे।
- (vi) कि उक्त जमीन के अधिकार से संबंधित किसी भी न्यायालय में कोई मुकदमा नहीं चल रहा है और कोई भी शुल्क या कर इस विलेख के लिखे जाने तक बाकी नहीं

For R.R. Builders and Infracon
Sudha Singh
Partner
26/03/21

For R.R. BUILDERS & INFRACON
Sudha Kumari
PARTNER

है और अगर इसके पूर्व का कोई टैक्स या शुल्क बकमया हो तो जमीन मालिक उसका भुगतन करेंगे।

(vii) कि जमीन मालिक उक्त जमीन के हस्तांतरण, अंतरण के उद्देश्य से मनोबंध हो जाने के बाद प्रस्तावित इमारत में डेवेलपर सहित किसी समिति के हिस्से को सौंप देंगे और जमीन मालिक बचनबद्ध हैं कि वे पूर्वांकित घोषणाओं के विरुद्ध कोई काम या कार्रवाई नहीं करेंगे।

(viii) कि जमीन मालिक को उन्नयनकृत संपत्ति में अपने प्राप्त हिस्से को बेचने, पट्टा पर देने अथवा निबटान करने का अधिकार होगा।

(ix) अपने हिस्से के फ्लैट के अधिकार से संबंधित किसी तरह का कर (आयकर, सेवा कर, नगर निगम का कर) दोनों पाठी अपने—अपने हिस्से का खुद भुगतान करेंगे।

19. उचित अधिकार सहित इन प्रावधानों के अन्तर्गत डेवेलपर निर्मित भवन में कम से कम भू—तल्ला के संरचना कार्य की पूर्णता के बाद जमीन मालिक और इमारत में उनके हिस्से की पूर्ण सुरक्षा की व्यवस्था करते हुए डेवेलपर अपना हिस्सा बंधक रख सकते हैं बशर्ते ऐसा ऋण अथवा उधार डेवेलपर इमारत के अपने हिस्से की जमानत पर लेंगे।

20. डेवेलपर उक्त जमीन का उन्नयन "**MEADOW VIEW**" के नाम से करेंगे और भवन निर्माता तथा जमीन मालिक का हिस्सा सहित सारा निर्माण इमारत का नाम "**MEADOW VIEW**" होगा और पार्किंग स्थान सहित सारा निर्माण खर्च केवल डेवेलपर द्वारा वहन किया जाएगा तथा केवल डेवेलपर ही सरकार, पी.एम.सी./खगौल नगर परिषद्/संबंधित प्राधिकार एवं अन्य अधिकारियों के प्रति इस जमीन के उन्नयन के लिए जवाब देय होंगे तथा उन्नयन क्रम में अगर कोई नुकसान हो तो इसकी क्षतिपूर्ति तथा जमीन मालिक को इससे संबंधित सभी कार्यवाही, मांग, दावा, खर्च, नुकसान, दंड अथवा अन्य कार्य असफलता, विलम्ब शुल्क या अनुबंध—विच्छेद के कारण (नगर निगम या अन्य प्राधिकारों द्वारा निर्मित नियमों के अन्तर्गत) हुई क्षति की पूर्ति करेंगे।

21. जमीन मालिक अपनी सहमति और बचनबद्धता व्यक्त करते हैं कि वे डेवेलपर के पक्ष में इस मनोबंध की शर्तों एवं बंधेजों के अनुरूप उक्त जमीन के उन्नयन से संबंधित सभी आवश्यक कार्य करने के लिए जमीन मालिक की ओर से विकासक को प्राधिकृत करते हैं जो अपने हिस्से की फ्लैट बिक्री के निमित इकरारनामा इत्यादि निष्पादित करेंगे।

22. इस उन्नयन मनोबंध के तथा इससे संबंधित सभी जेव खर्च, शुल्क, कानूनी खर्च जिसमें हस्तांतरण का स्टाम्प खर्च और निवंधिन खर्च शामिल हैं, डेवेलपर या उनके नामितों द्वारा वहन किया जाएगा।

For R.R. Builders and Infracon

Sudha Singh
26/03/21
Partner

For R.R. BUILDERS & INFRACON
Sudha Kumar
PARTNER

23. भवन निर्माण की समय सीमा उन्नयन मनोबन्ध निबंधन होने से चार वर्ष छः माह और उसके बाद कार्य पूर्ण करने का 6 माह का कृपा काल के अन्तर्गत अगर डेवलपर इमारत के निर्माण में असफल हो जाते हैं अथवा जमीन मालिक को विक्री योग्य निर्मित क्षेत्र सुपुर्द करने में (चूंकि समय सीमा इस मनोबन्ध का प्रमुख अंग है) असमर्थ रहते हैं वैसे किसी दैवी कारण या नियंत्रण के बाहर प्राकृतिक विपति को छोड़कर जो इस निर्माण को प्रभावित करता है, वैसी हालत में पूर्वोक्त निर्धारित समय सीमा के अन्तर्गत इमारत को पुरा न करने के कारण डेवेलपर को आपसी सहमति से आगे की कार्यवाही करने का अधिकार होगा। यह समय सीमा जमीन के पाक-साफ एवं स्वत्व, दोष तथा ऋण भार से मुक्त एवं जमीन मालिक के नाम से दाखिल - खारिज होने एवं रसीद कटने के बाद ही लागू होगा।

24. इस मनोबन्ध की शर्तों के अनुसार उक्त जमीन पर प्रस्तावित इमारत में विक्री योग्य निर्मित क्षेत्र पर अधिकार एवं हित के अतिरिक्त जमीन मालिक को परम निर्मित क्षेत्र यथा, गवाक्ष, सीढ़ी घर, रास्ता, लिफ्ट, पानी का टंकी, जेनरेटर कमरा, खुली जगह, वाहन पार्किंग स्थान और सभी सामूहिक क्षेत्र पर भी जमीन मालिक को अधिकार होगा।

25. डेवेलपर पी.एम.सी./खगौल नगर परिषद के नियम, परिनियम और कानूनों का दृढ़ता से पालन करेंगे और सर्वदा किसी क्षति, दावा, मांग जो नियमों और कानूनों के उल्लंघन से उत्पन्न हो उससे जमीन मालिक को क्षतिपूर्ति करायेंगे।

26. इमारत की योजना में डेवेलपर सभी सामान्य (Civil), बिजली, plumbing and sanitary कार्यों जिसमें भूमिगत एवं उपरी टंकी, पानी व्यवस्था, नल पम्प, गृह सेवा आदि शामिल हैं वे पी.एम.सी./खगौल नगर परिषद की स्वीकृत योजना के अनुसार शामिल होगा।

27. उक्त इमारत या परिसर में किसी व्यक्ति के द्वारा किसी व्यक्ति या डेवेलपर पर किसी कार्य के चलते किसी व्यक्ति या प्राधिकार को देय किसी नुकसान, दावा, क्षतिपूर्ति के लिए डेवेलपर पूरी तरह क्षतिपूर्ति करेंगे और जमीन मालिक किसी भी तरह का भुगतान करने, मजदूर क्षतिपूर्ति कानून अथवा किसी अन्य कानून के अन्तर्गत किसी दुर्घटना से संबंधित मुकदमें मैं बचाव करने के लिए जवाबदेह नहीं होंगे।

28. प्रस्तावित इमारत पी.एम.सी./खगौल नगर परिषद/सक्षम प्राधिकार द्वारा स्वीकृत हो रहे वारतुशिल्प की विशिष्टयों के अनुसार निर्मित होगी।

29. यह कि लेख्य प्लौट से संबंधित जरूरी कार्यों के लिए जमीन मालिक ही प्राधिकृत हैं क्योंकि अपने परिवार में कर्ता की हैसियत से वरिये सदस्य होने के नाते परिवार के हित में आवश्यक कानूनी खर्चों की पूर्ति हेतु नियमानुकूल प्राधिकृत हैं।

For R.R. Builders and Infracon
Sudha Singh
Partner

26/03/22

R.R. BUILDERS & INFRACON
Sudha Kumari
PARTNER

अनुसूची- ।

मौजा— लखनी बिगहा, सर्वे थाना दानापुर, अवर निबंधन कार्यालय, दानापुर, जिला— पटना, अन्दर थाना नं० 41, थाना कोड—162, जोन—2, तौजी संख्या—5225 / 14851, बिहार सरकार, खाता नं० 31 एवं 116, खेसरा नं० 1548 एवं 1547 का अंश भाग, रकवा 81.82 डीसमल अर्थात् 35634.2464 वर्गफीट, जमाबंदी नं०— 30(पुराना), है। जिसका प्रचलित आवासीय बाजार मूल्य मो० 2,13,55,020/- (दो करोड़ तेरह लाख पचपन्न हजार पाँच सौ) रूपये है पर स्वामी के रूप में स्वत्व धारित करते हुए निर्विवाद रूप से शांतिरूप दखल—कब्जे में है। जिसका पूर्ण विवरण इस विलेख की अनुसूची— 1 में वर्णित है जो इस विलेख का भाग है।

जमीन का विवरण:—

खाता नं०	प्लॉट नं०	एराजी
31	1548	63.82 डी०
116	1547	18 डी०

चौहदादी(Boundary)

उत्तर : सहायक रास्ता

दक्षिण : सडक/आहर/पाइन

पूरब : सर्वे प्लॉट नं०—1549 एवं 1550

पश्चिम : सर्वे प्लॉट नं०—1546

अनुसूची- II

बनने वाले भवन का संक्षिप्त ढाचागण विवरण:—

- ढांचा :— अस. सी. सी. फ्रेम ढांचा।
- छत :— आर. सी. सी. का छत।
- ईटा :— प्रथम कोटी का ईटा/ACC Block लगेगा।
- फर्श :— काजरिया या फेमस टाइल्स रांदर समस्त फर्श क्षेत्र में लगेगा।
- परिसर्जन :— समस्त अंदर क्षेत्र में बाल पुटटी रहेगा और केवल बाहर बेदर कोट का होगा।
- दरवाजे :— सभी दरवाजा 32 mm मोटा Green/Century या Poly Wood उच्च कोटी का होगा। (चोखट कपूर, साल का पेंट किया हुआ या Poly Wood का होगा)।
- खिडकियाँ :— सभी खिडकियाँ एल्युमिनियम/UPVC का पिन हैड ग्लास के साथ होगी।

For R.R. Builders and Intracor

Sudha Kumar

26/03/21

सभी प्रकार के रोके से बचत पाया

ज्ञान लिपिक

For R.R. BUILDER&INTRACOR

Sudha Kumar

PARTNER

89

शौचालय :-

शौचालय की दीवाल से 7 पिज उचाई तक टाइल्स और एक बेसिन मे साथ एक ग्रीजर पॉइंट, सावर पॉइंट रहेगा।

रसोई घर :-

Green Marble का कार्यकारी Platform तथा steel का सिंक, कार्यकारी platform से 24" उचा रंगीन Glazed टाइल्स रहेगा।

बिजली व्यवस्था:-

मानक बिजली सामग्री के साथ concealed पी.वी.सी. conduct couper wiring master bedroom मे A.C प्वाइंट। सारा फिटिंग सामग्री (ISI Mark) उच्च कोटी का होगा।

लिफ्ट :-

आठ व्यवित का भार वहन करने योग लिफ्ट उच्च कोटी का होगा।

पानी का साधन:-

छत से उपर R.C.C टैंक और जिसका सप्लाई गहरा बोरिंग पम्प से होगा।

गवाहगण:-

1. Abhay Singh
S/o Bh Bahadur Singh
Vill+Pard - Benipuri Azamgarh.
2.

Aadarsh
S/o Laloo Singh
c/o Shyam Niwas, Near
Shiv Mandir, Road No:- 7A/11
Indrapuri, Patna
800024.

प्रथम पक्ष का हस्ताक्षर

For R.R. Builders and Infracon,
~~Sudha Singh~~
26/03/2021 Partner

द्वितीय पक्ष का हस्ताक्षर

Dinesh Kumar Yadav
26. 3. 2021

टाइल डिजाइन

26-3-2021

For R.R. BUILDERS & INFRACON
Sudha Kumari
PARTNER

90

Endorsement of Certificate of Admissibility

Admissible under Rule 5 : duly Stamped (or exempted from or does not require stamp duty) under the Indian Stamp Act, 1899, Schedule I or I-A, No. '05'. Also admissible under section 26(a) of the B. T. Act.

Stamp duty paid under Indian Stamp Act	Rs. 428200/-	Amt.Paid By N.J Stamp Paper	Rs. 0/-
Addl.Stamp duty paid under Municipal Act	Rs. 0/-	Amt.paid through Bank Challan	Rs. 434725/-
Registration Fee			
A1 1000 C 0 H1b 0 Kia 0 Lii 0	A8 0 D 0 H2 0 K1b 0 Liii 0	A9 0 DD 0 I 5000 K1c 0 Mb 25	LLR + Proc Fee Service Charge
A10 0 E 0 J1 0 K2 0 Na 0	B 0 H1a 0 J2 0 Li 0	TOTAL- 6025	LLR 0 Proc.Fee 0 Total 0



Total amount paid (Reg. fee+LLR, Proc+Service Charge) in Rs. - 6525

Date: 26/03/2021



Registering Officer
Patna

Endorsement under section 52

Presented for registration at Registration Office, Patna on Friday, 26th March 2021 by Dheeraj Kumar Yadav
Brahmdeo Singh by profession Others. Status - Executant

Dheeraj Kumar Yadav

26/03/21
Sudha Singh
Signature/ L.T.I. of Presentant


Date: 26/03/2021


Registering Officer
Patna

Endorsement under section 58

Execution is admitted by those Executants and Identified by the person (Identified by 'Abhay Singh' age '29' Sex 'M', 'Bir Bahadur Singh', resident of 'Benupur, Mehnagar, U.P.'), whose Names, Photographs, Fingerprints and Signatures are affixed as such on back page / pages of the instrument.

Date : 26/03/2021


Registering Officer
Patna

Endorsement of Certificate of Registration under section 60

Registered at Registration Office Patna in Book 1 Volume No. 133 on pages on 140 -155, for the year 2021 and stored in CD volume No. CD-18 year 2021 .The document no. is printed on the Front Page of the document.

Date : 26/03/2021



Token No. : 5356

Year : 2021 S.No. 5198

SCORE Ver.4.1

Deed No. : d No. : 5263


Registering Officer
Patna

E& R.R. BUILDERS & INFRACON

Sudha kumari

PARTNER 91

28/03/2021



For R.R. BUILDERS & INFRA CON

PARTNER 92